फा.सं.38-02/2025-प्रशा.(पार्ट-I)/61

भारत सरकार
Government of India
केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो
CENTRAL TRANSLATION BUREAU
राजभाषा विभाग : गृह मंत्रालय
Deptt. Of Official Language : Ministry of Home Affairs

प.दीनदयाल भवन, 8वां तल, लोधी रोड,
Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 8th floor, Lodhi Road
केंद्रीय कार्यालय परिसर, नई दिल्ली-110003
C.G.O. Complex, New Delhi - 110003
दिनांक : 13 फरवरी,2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में सलाहकार की नियुक्ति के संबंध में।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में सहायक पद के समक्ष 05 सलाहकार की नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों (सहायक या समकक्ष और उससे उच्च स्तर के अधिकारी) से निर्धारित प्रोफार्मा में (अनुलग्नक-I) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

1	पद का नाम	सलाहकार (सहायक)
2	कंस्लटेंसी की अवधि	प्रारंभ में एक वर्ष के लिए। निष्पादन का मूल्यांकन, पारस्परिक सहमति और आवश्यकता के आधार पर अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है या कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
3	कार्य की प्रकृति	प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधी, स्थापना, सामान्य प्रशासन, वित्त एवं बजट संबंधी कार्य
4	कार्य का स्थान	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
5	योग्यता/आवश्यक मानदंड	• आवेदक की सेवानिवृत्ति सहायक लेवल-6 या समकक्ष अथवा उससे उच्च स्तर का अधिकारी होना चाहिए। आवेदक को प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का अनुभव होना चाहिए और उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। • आवेदक को कम्प्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए।
6	पारिश्रमिक और हकदारी	• Remuneration (पारिश्रमिक)- सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन की कटौती करके एक निर्धारित मासिक राशि दी जाएगी। यह निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी। • Transport Allowance (परिवहन भत्ता) आवास और कार्यस्थल के बीच यात्रा के उद्देश्य के लिए एक

		उपयुक्त और निश्चित परिवहन भत्ता निर्धारित किया जाएगा, जो सेवानिवृत्ति के समय पर संबंधित व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगा। यह निर्धारित राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता (DA), यदि कोई हो, दिया जा सकता है। • Leave of absence (अनुपस्थिति संबंधी अवकाश) सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन की दर से भुगतान अवकाश दिया जा सकता है। एक कैलेंर वर्ष से अधिक अवकाश का संचय नहीं किया जाएगा। • Term of appointment (नियुक्ति की अवधि) नियुक्ति की अवधि सामान्यत: एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि पर्याप्त कारण हो तो सेवानिवृत्त होने के बाद कार्य की समीक्षा और अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर, दो वर्ष से अधिक अवधि बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते कि यह अवधि सेवानिवृत्ति के बाद पांच वर्षों के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।
7	आवेदन कैसे करें	• इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली को अपनी रूचि दिखाते हुए आवेदन कर सकते हैं। • राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय आवेदनों की समीक्षा करेगा और उपर्युक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को मंत्रालय में साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। • साक्षात्कार पत्र में साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थल के बारे में अवगत कराया जाएगा।

आवेदन पत्र स्वीकार करने की तिथि परिपत्र की जारी करने की तारीख से 30 दिन है। निर्धारित तिथि के बाद या निर्धारित दस्तावेजों के बिना या अधूरी पाए गए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र नही होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(दिनेश कुमार झा)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी सहायक सलाहकार, राजभाषा विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग/केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
2. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निजी सहायक
3. उप सचिव (प्रशिक्षण) राजभाषा विभाग, एनडीसीसी II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।